

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/205
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00186
CICOM/R/2018/00596

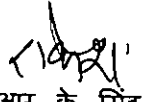
दिनांक: 10.08.2018

अपीलकर्ता : श्री ओम पाल सिंह,
द्वारा - श्री ओम प्रकाश,
विनय नगर, क्वारसी,
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001.

निर्णय की तारीख: 10.08.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.05.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.06.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.07.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	378/06.08.2018 (1042/03.08.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 28.05.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/2017/01302 से संबंधित सूचना भेजे जाने के साक्ष्य की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से CICOM/R/2017/01302 से संबंधित सूचना भेजे जाने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया है, बल्कि अन्य सूचना दी गई है। तदुसार श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि डिस्पैच अनुभाग की सहायता से आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/2017/01302 से संबंधित सूचना भेजे जाने का साक्ष्य इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाया जाए।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।

